न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 115/2013 दायरा दिनांक : 20.06.2013

उनवान

1— मदनलाल पुत्र गोपाल, जाति ब्राहमण, निवासी मोरपा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

2— कैलाशी बाई पुत्री गोपाल पत्नी रामेश्वर, जाति ब्राहमण, निवासी निमोदा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

3— रामबाबू पुत्र मोहनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी सोरखण्डकलां, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— गुलाब बाई पुत्री श्री गोपाल, जाति ब्राहमण, निवासी सोरखण्डकलां, तहसील अन्ता, जिला बारां (मृतक) कायम मुकामान —

1/1—प्रबलकुमार नाबा. जर्ये वली चन्द्रप्रकाश जाति ब्राहमण, निवासी सोरखण्डकलां, तहसील अन्ता, जिला बारां

2— चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व0 मोहन लाल, जाति ब्राहमण, निवासी सोरखण्डकलां, तहसील अन्ता, जिला बारां

3— लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 मोहनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी सोरखण्डकलां, तहसील अन्ता, जिला बारां

4— नवल पुत्र स्व. मोहनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी सोरखण्डकलां, तहसील अन्ता, जिला बारां

5— केदारबाई पत्नी स्व. मोहनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी सोरखण्डकलां, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री नरेन्द्र सोमानी एवं श्री भगवान सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक :04.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या — 141/2010 निर्णय दिनांक 03.06.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सौरखण्डकलां, तहसील अन्ता में खाता संख्या 134 कुल 8 किता की 7.48 हेक्टर आराजी स्थित है । यह आराजी पैतृक है जो अप्रार्थीगण और प्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 को मोहन लाल से प्राप्त हुई है । अप्रार्थीगण ने षडयंत्रपूर्वक गोपाल की मृत्यु हो जाने पर गुलाबबाई प्रार्थिया का नाम दर्ज नहीं करवाया । गुलाबबाई गोपाल की जायज वारिस है और अपने पिता की सम्पत्ति में 1/4 हिस्सा प्रापत करने की अधिकारिणी है । राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिया के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें और आराजी को खुर्द बुर्द

न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.07.2010 को निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया है । इसके उपरान्त अपील पेश होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलांट रामबाबू पुत्र मोहनलाल को बहेसियत अप्रार्थी पक्षकार बनाया जाकर उससे जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । तदोपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट के पिता मोहनलाल फोत हो चुके हैं उनका फोती इंतकाल स्थगन आदेश के कारण नहीं खोला जा सका है । अपीलांट को कृषक ऋण लेने में भी कठिनाई आ रही है । अपीलांट वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं करने के लिए वचनबद्ध है । गुलाब बाई का कोई अधिकार पिता की सम्पत्ति में नहीं रहा है । अधीनस्थ नयायालय का आदेश विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट रेकार्डेड खातेदार है । रहन रखने का अधिकार नहीं होने से ऋण और काश्त करने में कठिनाई आ रही है । अपीलांट बेचान नही करने के लिए वचनबद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि यदि पूर्व में ही आराजी रहन है तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है । अपीलांट के द्वारा कही भी के सी सी की छूट की प्रार्थना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । गुलाबबाई गोपाल की पुत्री होने के नाते वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार दर्ज होने की अधिकारिणी थी । गलत रूप से नाम दर्ज नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ नयायालय की पत्रावली पर नामान्तरकरण संख्या 58 की फोटो प्रति सलंग्न है जो मृतक गोपाल के स्थान पर खोला गया है । फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2062 के अनुसार वादग्रस्त आराजी मोहन लाल मदन लाल पुत्र गोपाल और कैलाशी बाई पुत्री गोपाल के नाम दर्ज की गई है । प्रार्थिया का यह कथन है कि गोपाल की पुत्री होने के नाते उनका वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा निहित है । पत्रावली पर जो नामान्तरकरण संख्या 48 की प्रति सलंग्न है उसमें भी गुलाब बाई का नाम अंकित है परन्तु राजस्व रेकार्ड में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया है । इस प्रकार गोपाल की पुत्री होने के नाते प्रथमदृष्टया प्रार्थिया का वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा निहित होने प्रतीत होता है ।

अपीलांट अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि गुलाब बाई ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अपना हक तर्क कर दिया है परन्तु अपने कथन के समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में प्रथमदृष्टया 1/4 हिस्सा प्रार्थिया का होना प्रतीत होता हे । यद्यपि पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय

होगे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया प्रकरण मानते हुए रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । प्रार्थीगण 2 लगायत 5 मोहन लाल के वारिस है और इस नाते वादग्रस्त आराजी में उनका भी 1/4 हिस्सा निहित है । मोहन लाल के वारिस होने के नाते अपीलांट 2 लगायत 5 एवं रेस्पोडेंट नम्बर 3 का भी प्रथम दृष्टया वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा निहित है ।

अपील में अपीलांटगण द्वारा आपत्ति यह भी की गई है कि मोहन लाल की मृत्यु के उपरान्त उनका फोती इंतकाल रेकार्ड में यथास्थिति बनाये रखने के कारण नहीं खोला जा सका है । अपीलांट अपनी सम्पत्ति पर कृषक ऋण नहीं ले पा रहा है । अपीलांट वादग्रस्त आराजी को बेचान नहीं करने के लिए और मौके की यथासिीति बनाये रखने के लिए वचनबद्ध है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट नम्बर 3 रामबाबू ने जो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें यह कथन किया है कि मोहन लाल का एक मात्र वारिस वो है । प्रार्थीगण 2 लगायत 5 मोहन लाल के वारिस नहीं हैं । जबकि अप्रार्थी 1 व 2 ने जो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें यह कथन किया है कि मोहन लाल के कायम मुकामान 2 लगायत 5 के अलावा रामबाबू भी है । इस प्रकार इस प्रकरण में मोहन लाल की विरासत मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त ही तय हो सकती है, इस स्टेज पर नहीं । प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रार्थिया गुलाब बाई का हित निहित होना भी पाया जाता है । मोहन लाल के वारिसान मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होगें, इस स्टेज पर नहीं । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बाबत जो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा